संख्या-63/1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: 20 नवम्बर, 2015

विषय-: उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-117 की उपधारा-6 के अधीन पुनर्ग्रहीत भूमि के मूल्य में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-राजस्व-1, दिनॉक 09 मई, 1984 द्वारा गॉव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त सामान्य सिद्वान्तों का निर्धारण किया गया है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-117 के अधीन गॉव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित धारा-117 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का मूल्य राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहॉ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए या निजी व्यक्तियों/निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा। अत: शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-राजस्व-1, दिनॉक 09 मई, 1984 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1761(1)/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53 तद दिनॉका

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4; चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- /एक-1-2015-5-1(43)/2009-53

लखनऊ: दिनॉक: नवम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-21 सन् 1994) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन्, 1951) की धारा-321 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके व सरकारी अधिसूचना संख्या-258/रा-1-16(1)/1973, दिनॉक 05 मार्च, 1974 द्वारा राज्यपाल उत्तर प्रदेश के उन सभी जिलों के कलेक्टरों को और उन सभी मण्डलों के आयुक्तों को, जिनमें या जिनके किसी भाग में उक्त अधिनियम, लागू हो, नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 117 के अधीन गॉव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित धारा-117 की उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की शक्ति उक्त अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जो वह वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 5, भाग 1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के किसी सेवारत विभाग के लिए निःशुल्क प्रतिनिहित की गयी है।

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन्, 1951) की धारा-321 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके व सरकारी अधिसूचना संख्या-258/रा-1-16(1)/1973, दिनॉक 07 मई, 1981 तथा अधिसूचना संख्या-प्र.स.-87/1-1-2010-5-1(43)-09-53, दिनॉक 19 अप्रैल, 2010 द्वारा राज्यपाल उत्तर प्रदेश के उन सभी जिलों के कलेक्टरों को और उन सभी मण्डलों के आयुक्तों को, जिनमें या जिनके किसी भाग में उक्त अधिनियम, लागू हो, नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 117 के अधीन गॉव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित धारा-117 की उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की शक्ति उक्त अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जो वह वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 5, भाग 1 के

shasnadesh.up.nic.in

परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहॉ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, प्रतिनिहित करते है।

अनुसूची

कलेक्टर	वस्तु या वस्तुयें जिनका बाजार मूल्य चालीस लाख रूपये से अधिक न हों।
आयुक्त	वस्तु या वस्तुयें जिनका बाजार मूल्य चालीस लाख रूपये से अधिक हों।

-2-

3. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन्, 1951) की धारा-321 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके व सरकारी अधिसूचना संख्या-258/रा-1-16(1)/1973, दिनॉक 09 मई, 1984 द्वारा राज्यपाल उत्तर प्रदेश के उन सभी जिलों के कलेक्टरों को और उन सभी मण्डलों के आयुक्तों को, जिनमें या जिनके किसी भाग में उक्त अधिनियम, लागू हो, नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 117 के अधीन गॉव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित धारा-117 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का मूल्य राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहॉ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए या निजी व्यक्तियों/निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन्, 1951) की धारा 117 के अधीन गॉव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित धारा-117 की उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन), (चार), (पॉच) व (छः) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को निजी व्यक्तियों/निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों हेतु पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित है। अतएव पुनर्ग्रहण और विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर संगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in